अधिकारी

**न्यायालय उपखण्ड.................................................कठूमर जिला अलवर**

**मिसल नं.** 2/200/2021

**तारीख रजू.......................................**

नन्दकिशोर **बनाम** गोपाल वगैरा

| **तारीख हुक्म** | **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** | **नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए** |
|---|---|---|
| 10.09.2021 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।<br>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 न0 11385, 1386, 1502, 1539, 1542,1543, 1544, 1545, 1546, 1553, 1560, वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात की रिकॉर्ड की यथास्थिति वनाये रखे।<br>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 18.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर)राज० | |
| 18/11/21 | वकील प्रार्थी.......................उपस्थित।<br>साबिक आदेश दिनांक......10.9.21......<br>की पालना में पत्रावली वास्ते...जवाब/रिप्लाई हेतु<br>दिनांक......8/2/22..........को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी | |
| 8/2/22 | वकील प्रार्थी.......................उपस्थित।<br>साबिक आदेश दिनांक......10.9.21......<br>की पालना में पत्रावली वास्ते...तलबी रजि० AD हेतु<br>दिनांक......24/2/22..........को पेश हो। स्थगन की अवधि विवाद निर्णय तक बढ़ाई जाती है।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 29/4/22 | वकील प्रार्थी ... उपस्थित<br>तारीख ... 10.4.2[illegible]<br>... रवि0 आदेश अति<br>पेशी 29/4/22 ... मौका, समयाभाव<br>अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>[illegible] (अलवर) | |
| 18.4.22 | पत्रावली आज शुरू करके वकील प्रार्थी के प्रा0 पत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रा0 पत्र पेश कर अपना प्रार्थना नहीं चलाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली प्रा0 पत्र का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना-पत्र मय [illegible] वकील प्रार्थी के प्रा0 पत्र के आधार पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो के मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया गया<br>SDM<br>उपखण्ड अधिकारी<br>[illegible] (अलवर) | [illegible] |